न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024/275 दर्ज तिथिः—12.07.2024

1. हनुमानराम पुत्र मोडाराम
   जाति साद निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर।

........................वादी

बनाम

1. मिश्रा पुत्र मोडाराम
2. पेमाराम पुत्र नारणाराम
3. लीलादेवी पत्नी नारणाराम
   जाति साद
4. राउ चौधरी पत्नी रतनाराम
   जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादी

5. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री पूनमाराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

&½fu.k;½&

निर्णय तिथिः—04.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 137/0.8256 है0, खसरा संख्या 113/4.9533 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुदकाश्त हुए तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:02:29 IST
Reason: SelfAttested

के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण जरीये असालतन—वकालतन उपस्थित होकर सीधे बहस का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने दौरान—ए—बहस प्रतिवादीगण का भी मुताबिक जमाबंदी हक हिस्सानुसार खाता पृथक किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

    1. *आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।*

       ....जिम्मे वादी

    2. *आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।*

       ....जिम्मे वादी

    3. *आया प्रतिवादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।*

       ....जिम्मे प्रतिवादी 01—04

    4. *अन्य दादरसी।*

       ....उभयपक्षकारान

4. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 13.01.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/414 दिनांक 30.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/414 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.	प्रकरण में दिनांक [illegible].06.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पट[illegible]/[illegible]दावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट [illegible]र की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:02:29 IST
Reason: SelfAttested

- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.	
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1064—1068 दिनांक 21.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 16.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1064—1068 दिनांक 21.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 16.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 137/0.8256 है0, खसरा संख्या 113/4. 9533 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion;*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:02:29 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत [illegible]3, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1[illegible]5 [illegible]बत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार [illegible]या जाता है एवं हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:02:29 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा संख्या 137/0.8256 है0, खसरा संख्या 113/4.9533 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
हनुमानराम पुत्र मोडाराम जाति साद सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	113 113	0.7076 1.8830	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.5906 है0				
राऊ चौधरी पत्नी रतनाराम जाति जाट सा0 हुडों का तला खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.3237	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.3237 है0				
मिश्राराम पुत्र मोडाराम जाति साद सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	113 113 137	0.5866 0.5893 0.6054	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 1.7813 है0				
पेमाराम पुत्र नारणाराम हि0 7/80 लीलादेवी पत्नी नारणाराम हि0 73/80 जाति साद सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	113 113 137	0.1421 0.2860 0.2202	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 0.6483 है0				
हुनमानराम पुत्र मोडाराम हि0 1/3 मिश्राराम पुत्र मोडाराम हि0 1/3 पेमाराम पुत्र नारणाराम हि0 1/3 जाति साद सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.4350	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.4350 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:02:29 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 275 दर्ज तिथिः—12.07.2024

1. हनुमानराम पुत्र मोडाराम
   जाति साद निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर।

........................वादी

बनाम

1. मिश्रा पुत्र मोडाराम
2. पेमाराम पुत्र नारणाराम
3. लीलादेवी पत्नी नारणाराम
   जाति साद
4. राउ चौधरी पत्नी रतनाराम
   जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादी

5. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री पूनमाराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

&%ipk fMØh%&

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 137/0.8256 है0, खसरा संख्या 113/4.9533 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम कर अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:02:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–04.07.2025

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
हनुमानराम पुत्र मोडाराम जाति साद सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	113 113	0.7076 1.8830	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.5906 है0				
राऊ चौधरी पत्नी रतनाराम जाति जाट सा0 हुडों का तला खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.3237	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.3237 है0				
मिश्राराम पुत्र मोडाराम जाति साद सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	113 113 137	0.5866 0.5893 0.6054	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 1.7813 है0				
पेमाराम पुत्र नारणाराम हि0 7/80 लीलादेवी पत्नी नारणाराम हि0 73/80 जाति साद सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	113 113 137	0.1421 0.2860 0.2202	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 0.6483 है0				
हुनमानराम पुत्र मोडाराम हि0 1/3 मिश्राराम पुत्र मोडाराम हि0 1/3 पेमाराम पुत्र नारणाराम हि0 1/3 जाति साद सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.4350	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.4350 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।
यह डिक्री आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:02:29 IST
Reason: SelfAttested